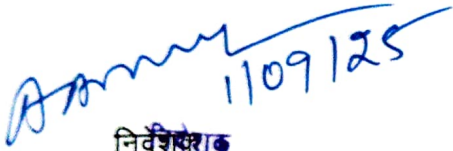


कार्यालय निदेशक:- हे० न० ब० ग० वि० वि० परिसर बादशाहीथौल टिहरी (टि० ग०)

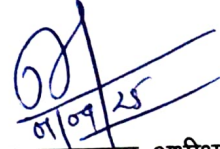
विज्ञप्ति संख्या/०२-पुरुष छात्रावास में भोजन आपूर्ति निविदा संशोधन/छात्रावास
मैस/निविदा २०२५-२६ दिनांक:- ०१-०९-२०२५

निविदा सूचना संशोधन

1. विज्ञप्ति संख्या/०२/छात्रावास मैस/निविदा २०२५-२६ दिनांक:- २९-०८-२०२५ के अन्तिम पैरा निदेशक कार्यालय के छात्रावास अनुभाग में सील/बन्द निविदा लिफाफे जमा करने की अन्तिम तिथि १६.०९.२०२५ के सायं ५.०० बजे तक है। निविदाओं को निदेशक द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक ०२.०९.२०२५ के स्थान पर १७.०९.२०२५ पढा जाय को अपरान्ह ३:०० बजे खोला जायेगा।
2. भोजन निविदा प्रपत्र में :- विज्ञप्ति संख्या/०२/निविदा २०२३-२४ के स्थान पर २०२५-२६ एवं दिनांक:- २२-०८-२०२५ के स्थान पर दिनांक २९.०८.२०२५ पढा जाय।

 11/09/25

निदेशक
हे० न० ब० ग० वि० वि० परिसर
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गढ़वाल

 11/09/25

सयोजक/उप/सह-छात्रावास अधीक्षक
सहायक छात्रावास अधीक्षक
टिहरी पुरुष छात्रावास
हे० न० ब० ग० वि० वि० परिसर
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
पिन-२४९१९९

कार्यालय निदेशक:- हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि0ग0)

विज्ञप्ति संख्या/02/निविदा 2025-26 दिनांक:- 01-09-2025

भोजन निविदा-प्रपत्र
वित्तीय वर्ष-2025-26

निविदा प्रपत्र के चार भाग है।

- (क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें
- (ख) साप्ताहिक मैनु
- (ग) तकनीकी बिड
- (घ) वित्तीय बिड

प्रपत्र(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें :-

1. स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल टिहरी की छात्रावास समिति की ओर से पुरुष छात्रावास में भोजन व्यवस्था हेतु मैस संचालकों निविदादाताओं/ठेकेदारों से सील/बन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदादाता को निविदा फार्म प्रपत्र (क), साप्ताहिक मैनु प्रपत्र (ख), तकनीकी बिड प्रपत्र (ग) के प्रत्येक पेज/पृष्ठ पर सहमति हस्ताक्षर कर उक्त से सम्बन्धित याचित प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों को ए-4 साईज लिफाफे के अन्दर रखकर शील्ड लिफाफा जमा करना होगा। तथा वित्तीय बिड प्रपत्र (घ) का छोटा लिफाफा भी शील्ड कर जमा करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक निविदा के लिए एक बड़ा ए-4 साईज एवं एक छोटा लिफाफा शील्ड बन्द कर देना होगा जिसके बाहर निविदा दाता का नाम पता एवं मोबाइल फोन लिखना आवश्यक है। सर्व प्रथम तकनीकी बिड खोली जायेगी, तकनीकी बिड में सफल निविदा दाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
2. निविदा दाता निविदा फार्म को दिनांक 16.09.2025 सायं 5:00 बजे तक सील/बन्द लिफाफे परिसर छात्रावास कार्यालय ब्लॉक 03 कक्ष स0 211 में जमा करवा दें। निविदा निदेशक द्वारा गठित मैस समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक 17.09.2025 को प्रातः 3:00 बजे खोली जायेंगी।

(नोट:-पुरुष छात्रावास में 280 छात्रों के रहने की क्षमता है। वर्ष 2024-25 में पुरुष छात्रावास में 141 छात्रों का छात्रावास में प्रवेश रहा)

3. निविदा कर्ता /ठेकेदार/मैस संचालक को प्रत्येक माह छात्रों से भोजन धनराशि को अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी। छात्रों को संलग्न निर्धारित मैनु के अनुसार ही भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी, जिसमें सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्री का भोजन शामिल होगा।
4. ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को भोजनालय में नियमित उपस्थित रहना आवश्यक है।
5. त्रिहरि पुरुष छात्रावास में माह मई 2026, ग्रीष्मावकाश अथवा शैक्षिक सत्रान्त तक के लिए बिना किसी व्यवधान के भोजन की नियमित आपूर्ति करानी होगी।

6. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के साथ निविदा प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में ₹ 5000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो निदेशक एस0आर0टी परिसर बादशाहीथौल के पक्ष में सलंगन करना होगा। न्यूनतम प्रथम या आवंटित निविदाओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 अथवा बैंकर्स चैक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
7. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर ₹ 3,00,000 (तीन लाख मात्र) कार्यपूर्ति राशि एफ0डी0आर/टी0डी0आर निदेशक हे0न0ब0ग0वि0वि0 परिसर बादशाहीथौल टिहरी के नाम बन्धक बनाकर जमा करना होगा, साथ ही मैस संचालक ठेकेदार को ₹ 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा। सत्र आरम्भ अथवा छात्रावास में प्रवेशार्थियों के प्रवेश होने पर कार्यादेश/ऑफर लेटर जारी किया जायेगा। निवदा कर्ता/ठेकेदार को मैस आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस आरम्भ करनी अनिवार्य है।
8. एफ0डी0आर0 बन्धक राशि 3,00,000 (तीन लाख) जमा होने पर, निविदादाता को प्रतिभूति राशि ₹ 5,000 डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक निविदा दाता को वापस किया जायेगा।
9. ठेकेदार को खाना बनाने के लिए बर्तन ईंधन/गैस भट्टी, गैस सलेन्डर अथवा मैस में काम आने वाले बर्तन (जैसे डोंगा, चम्मच, हाटकेश आदि प्रत्येक टेबल के हिसाब से) एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे खाद्य/भोजन सामग्री मीनू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी, दाल, चावल, आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
10. ठेकेदार को अच्छे/उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का उपयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन समय-2 पर भोजन बनाने से पूर्व किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामग्री अच्छे/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो ठेकेदार को सामग्री बदलनी होगी। छात्रावास समिति कभी भी स्टोर में खाद्य सामग्री की जाँच करने के लिए स्वतन्त्र है सामग्री अनुपयुक्त पाये जाने पर तत्काल बदलनी होगी।
11. ठेकेदार को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होंगे। (पुरुष छात्रावास में 6 से 8 कर्मचारी रखने होंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से उपर हो) इस हेतु परिसर द्वारा अलग से कोई सहायता देय नहीं होगी। कर्मचारी छात्रावास संचालन हेतु समय समय पर बनाये जाने वाले नियमों/दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी क्षति एवं एवं अनुशासनहीनता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेदार होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त कर्मचारी का बिना कारण बताये तुरन्त परिसर से बाहर कर दिया जायेगा। मैस संचालक के सभी कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस होनी आवश्यक है। छात्रावास में मैस कर्मचारियों की संख्या कम होने पर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन ₹ 200.00 (दो सौ) की दर से अर्धदण्ड देना होगा।
12. परिसर प्रशासन द्वारा ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय, डायनिंग हाल एवं स्टोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेगे, जिसकी स्वच्छता एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। डायनिंग हाल में टूट-फूट एवं मरम्मत पर आने वाले व्यय का वहन ठेकेदार को ही करना होगा।

13. बिजली एवं पानी की व्यवस्था परिसर प्रशासन की होगी, ठेकेदार/निविदादाता/मैस संचालक को मैस में हीटर का प्रयोग करने पर प्रतिबन्धित होगा। मैस ठेकेदार को मैस का किराया रू0 2,500 विधुत बिल का फिक्स किराया रू0 2,000 प्रति माह एवं पानी का फिक्स बिल रू0 500.00 प्रतिमाह की दर से कुल रू0 5,000 (पाँच हजार मात्र) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्वयं छात्रावास कार्यालय में जमा करना होगा।
14. अस्वस्थ छात्रों को खिचड़ी/दलिया इत्यादि जैसे भोजन की व्यवस्था निविदादाता (मैस संचालक) के द्वारा करनी होगी।
15. भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देगा होगा। डायनिंग हाल की रोज पानी से धुलाई, शौचालय की सफाई करवानी होगी। बचा हुआ भोजन,जूठन,कूड़ा आदि नालियों में बहाकर गन्दगी नहीं फैलाई जायेगी। बचे भोजन को एकत्र कर परिसर से बाहर निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी।
16. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना कान्ट्रेक्ट किसी दूसरे को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में कान्ट्रेक्ट तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा,साथ ही जमानत राशि जब्त की दी जायेगी।
17. परिसर में अधिकारिक अवकाश एक सप्ताह से अधिक (शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश) के दिनों में अनुपस्थित छात्रों से भोजन का बिल नहीं वसूला जायेगा।
18. निविदादाता के लिए परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा अधिकतम निविदा दर रू0 130.00 प्रतिदिन प्रति छात्र निर्धारित की गयी हैं। दरें पूर्ण रुपये में दी जाय, पैसे में अंकित की गयी दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।
19. निविदादाता द्वारा जिस दिन भोजन परोसने की गुणवत्ता में कमी पायी गयी तो उस दिन के भोजन भुगतान अथवा कटौती के लिए छात्रावास समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
20. निविदादाता को संलग्न मैनु के अनुसार ही अपनी भोजन दरें प्रतिदिन प्रति, छात्र के लिये देनी होगी।
21. ठेकेदार को शासकीय नियम अनुसार आयकर एवं विक्रय कर स्वयं अपने स्तर से जमा करना होगा।
22. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि परिसर में निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित सम्बन्धित कर्मचारियों के पतों एवं पुलिस सत्यापन के साथ परिसर प्रशासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा तथा किसी भी मैस कर्मचारी द्वारा छात्रावास मैस में नशा या धूम्रपान,मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जायेगा। मैस संचालक को अपने कर्मचारियों को आई0 कार्ड0 निर्गत करना होगा जिसे मैस कर्मचारी सदैव अपने गले धारण करेंगे।
23. भोजनालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से बनवाकर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी बदलने पर भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। कर्मचारी बदलने पर लिखित सूचना परिसर छात्रावास कार्यालय को तत्काल देनी होगी
24. किसी पाली विशेष में मैनु के अनुसार भोजन/नाश्ता उपलब्ध न कराने अथवा गुणवत्ता युक्त न होने की स्थिति में वार्डन की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान से कटौती की जायेगी और ऐसी गम्भीर शिकायत तथा अव्यवस्था के प्रति तीन बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त कान्ट्रेक्ट निरस्त किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।

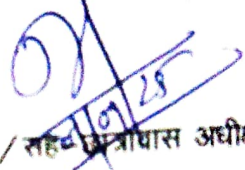
25. किचन में अग्नि सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। भोजन बनाते समय पूर्ण सावधानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है।
26. मैस की नालियाँ चोक होने पर तथा गड्डे भरने पर ,नालीयों तथा गड्डे की सफाई आदि कार्य स्वयं ठेकेदार को अपने खर्च पर करना होगा
27. मैस में ठेकेदार को अपना गीजर लगाना होगा ।
28. परिसर प्रशासन एक माह का नोटिस तथा मैस संचालक तीन माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं।
29. टेण्डर प्रक्रिया के दौरान एवं टेण्डर खुलने के बाद भी परिसर प्रशासन को बिना कारण बताए टेण्डर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
30. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगे कि मैस में कार्य करने वाले श्रमिक श्रम कानून के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मैस संचालक का होगा।
31. फार्म के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करें तथा निविदा खुलने के दिन निविदादाता को भैतिक रूप से समिति के सम्मुख मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। अपूर्ण निविदाओ पर विचार नहीं किया जायेगा ।

- (a) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त फूड वैध लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- (b) निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है अतः वैध (जी0एस0टी पंजीकरण) प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- (c) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह की अवधि के अन्तर्गत का हो।
- (d) निविदादाता द्वारा आवासीय विद्यालय/सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान /शैक्षणिक संस्था में (गत दो वर्षों 2023-24 एवं 2024-25) मैस संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर भी प्रमाण पत्र में अंकित करें।
- (e) स्थायी आयकर संख्या (PAN CARD) की छायाप्रति ।
- (f) कर निर्धारण विगत दो वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी।
- (g) निविदा फार्म के साथ प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में रू0 5,000 का बैंक ड्राफ्ट निदेशक हे0न0ब0ग0वि0वि0 बादशाहीथौल के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
- (h) निविदादाता के पास मैस संचालन कार्यों में पिछले 02 वर्षों में न्यूनतम ट्रनओवर पन्द्रह लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है इस हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वैलेंस सीट एवं ट्रनओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (i) निविदादाता की फर्म किसी भी सरकारी /आवासीय विद्यालय /शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ,इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए इस आशय का नोटरी द्वारा शपथ पत्र निविदादाता द्वारा 100 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा

- (j) यदि निविदादाता द्वारा आपूर्ति की खाद्य सामग्री के सेवन से किसी छात्र/छात्रा को नुकसान होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस आशय का शपथ पत्र 100 रु0 के स्टाम्प पेपर देना होगा।
- (k) निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के साथ जो प्रपत्र संलग्न किये गये हैं यदि वे प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी (निविदादाता की) इस आशय का शपथ पत्र 100 रु0 के स्टाम्प पेपर देना होगा। यदि निविदादाता के उक्त प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो भविष्य में ऐसे निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा।
- नोट:- निविदादाता को कम संख्या I, j, k तक के शपथ पत्रों को एक ही स्टाम्प पेपर पर दिया जा सकता है।


निदेशकु
11/09/25

डॉ. एन. ए. गढ़वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
राज्य विद्यापीठ परिसर, न. 3


संयोजक/उप/सह-प्रिन्सिपल अधीक्षक

संयोजक (प्रशासन) अकादमि, 2
क्रिस्ती पुष्प प्रभावाम
डॉ. एन. ए. गढ़वाल विश्वविद्यालय
श्यामी तम्बुरीय पब्लिश हाउस (सी. 1)
दिल्ली गढ़वाल (सहायक)
पिन-243109

प्रपत्र (ख) 2025-2026

कार्यालय निदेशक:- हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर बादशाहीथौल
छात्रावास भोजन मैनु

टिहरी(टि0ग0)

दिन/वार	नाश्ता	दोपहर भोजन	सायं 4 बजे	रात्रि भोजन
रविवार	उबले आलू, टमाटर की सब्जी तथा रोटी एवं पूरी चाय	राजमा, चावल, रोटी, सब्जी खीर, सलाद	सायं की चाय के साथ सिनैक्स अधिकतम रू0 5.00 के मूल्य का	मल्का दाल, आलू न्यूट्री की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
सोमवार	आलू गोभी परांठा, अचार, दही चाय	दाल मखनी, चावल, रोटी, सब्जी, खीरा, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड़द चना, आलू गोभी या आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
मंगलवार	छोले (कावली चना) सादा परांठा चाय	कड़ी, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद	प्रतिदिन	उड़द छिलका दाल, भिण्डी की सब्जी, चावल, रोटी, सलाद
बुधवार	छोले भटूरे चाय	काला चना, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	प्रतिदिन	शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर, आलूबीन की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
बृहस्पतिवार	आलू गोभी मूली के परांठा अचार दही चाय	उड़द राजमा मिक्स दाल, चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी, सलाद	प्रतिदिन	मसूर की दाल, आलू न्यूट्री की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
शुक्रवार	उबले आलू, टमाटर एवं पनीर की सब्जी, रोटी एवं पूरी चाय	मिक्स दाल आलू बैंगन की सब्जी, रोटी चावल सलाद	प्रतिदिन	काला चना, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी चावल, सलाद
शनिवार	आलू मटर की (गाड़ी ग्रेवी) की सब्जी सादा परांठा चाय	अरहर दाल, आलू पालक की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड़द चना, वैंगन भर्ता, चावल रोटी, सलाद

नोट:- 1- प्रत्येक बुधवार को रात्रि भोजन में (शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर)

2-मैनु में सब्जियां मौसम के अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं, किन्तु यह परिवर्तन तभी मान्य होगा जब मैनु में दी गयी सब्जी बाजार में उपलब्ध न हो।

3-प्रत्येक दिन सलाद में मूली, प्याज, गाजर या खीरा या अन्य सामाग्री जो बाजार में उपलब्ध हो अनिवार्य रूप से देनी होगी।

4-छात्र/छात्रा की बीमारी की दशा में खिचड़ी या दलिया उपलब्ध करना होगा।

5- सुबह नाश्ते के साथ चाय तथा सायं 4 बजे प्रतिदिन चाय देनी होगी

कार्यालय निदेशक:- हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर बादशाहीथौलटिहरी(टि0ग0)

तकनीकी बिड

1. निविदादाता का नाम.....
2. पता.....
फोन न0 कार्यालय.....मोबाइल न0.....
3. फर्म का नाम व पता.....
.....
4. व्यापार कर प्रमाण पत्र (G.S.T Number).....
(नियम शर्तों के अनुसार कर भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
- 5- स्थाई आयकर खाता संख्या(PAN N0)-----
नियम शर्तों के अनुसार विगत दो वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र तथा Pan Card की छाया प्रति संलग्न करें
- 6- धरोहर राशि का विवरण
(क) बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 न0/बैंकर्स चेक.....(ख) दिनांक.....
(ग) धनराशि.....
7. कार्य अनुभव:- (नियम शर्तों के अनुसार).....
संलग्न का विवरण 1. 2
3. 4
5.. 6.
7. 8.

दिनांक:

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

व पूरा पता:

प्रपत्र— (घ)

कार्यालय निदेशक:— हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि0ग0)

वित्तीय बिड 2025—2026

महोदय,

मैं निविदादाता परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन की आपूर्ति हेतु सहमत हूँ।

अतः प्रातः कालीन नाश्ते से सुवह की चाय लेकर रात्रि तक की भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन की दर निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं शर्तों का भली भाँति अध्ययन कर लिया गया है।

इकाई	दर प्रति छात्र प्रतिदिन (दर पूर्ण रूपये में दी जाय)
दर प्रति छात्र, प्रति दिन, (प्रपत्र) (ख) में निर्धारित मैनू अनुसार)	रूपये (अंकों में)..... शब्दों में

दिनांक:

.....

हस्ताक्षर निविदादाता.....

नाम:—

पता:—

मोबाइल न0:—